अनुदान संख्या 57 – प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
GRANT No. 57–DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	6004,68,00		8004,71,00	7950,64,72	–54,06,28
पूरक	Supplementary	2000,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					48,81,45

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services		2505.00	2111.86	–393.14
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	567891.00			
पू.	S.	167632.00	772830.16	772699.48	–130.68
पु.	R.	37307.16			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
पू.	S.	32371.00	1.00	..	–1.00
पु.	R.	–32370.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मु.	O.	28971.00	19713.39	19713.38	–0.01
पु.	R.	–9257.61			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	1101.00	540.00	540.00	. .
पु.	R.	–561.00			

(I) 44169.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से 44146.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.44169.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these Rs.44146.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - दिसंबर, 2004 में 32371.00 लाख रु. का पूरक अनुदान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552"- "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim"- supplementary grant of Rs.32371.00 lakhs obtained in December, 2004 - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation in the projects/ schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim and surrender of balance amount owing to non-receipt of sufficient proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण'' -

(B) Major Head "2202"-"Elementary Education - Teachers Training"-

(क) ''शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 800.00 लाख रु. स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय संघटक न बनाए जाने के कारण थे।

(a) "Strengthening of Teachers Training Institutions"- Rs.800.00 lakhs - due to non-formulation of National component under the scheme.

(ख) ''राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद'' - 775.00 लाख रु. संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि होने के कारण परिषद के अपने राजस्व में काफी वृद्धि होने तथा अपने निजी भवन को शुरू न किए जाने की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(b) "National Council for Teacher Education"- Rs.775.00 lakhs - due to non-release of funds owing to increase of Council's own revenue considerably on account of increase in application fees for recognition of institutions and non-starting of its own building.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान - कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय'' - 9500.00 लाख रु. राज्य सर्व शिक्षा अभियान समितियों को सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप के अनुसार मुख्य शीर्ष ''2202'' को निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण थे।

(ख) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा - 200.00 लाख रु. राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान-कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय'' - 500.00 लाख रु. राज्य सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटियों को सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप के अनुसार निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2202'' को किए जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग'' के अंतर्गत 393.14 लाख रु. की बचत (2505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पटना, गुवाहाटी और शिमला के क्षेत्रीय केन्द्रों में सीमित मीडिया अभियान के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(क) ''महिला समाख्या कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 1500.00 लाख रु. की बचत (2975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार और झारखंड राज्यों को महिला समाख्या के अंतर्गत न लिए जाने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई क्योंकि इन राज्यों में यह कार्यक्रम अभी भी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निधीयन के अंतर्गत था।

(ख) ''प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 8645.21 लाख रु. की बचत (167500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(a) “Elementary Education- Other Grants-Kasturba Gandhi Swantantra Vidyalaya”- Rs. 9500.00 lakhs –due to re-appropriation of funds to Major Head “2202” as per the Sarva Shiksha Abhiyan pattern to the states Serva Shiksha Abhiyan Societies.

(b) “Adult Education-Other Adult Education Programmes- Continuing Education for Neo Literates” - Rs.200.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from State Governments.

(D) Major Head “3602”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Elementary Education-Other Grants- Kasturba Gandhi Swantantra Vidyalaya”- Rs.500.00 lakhs -due to re-appropriation of funds to Major Head “2202” as per the Sarva Shiksha Abhiyan pattern to the states Serva Shiksha Abhiyan Societies .

(II) Under Major Head “2251”-“Secretariat – Department of Elementary Education and Literacy”-saving of Rs. 393.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2505.00 lakhs) was due to restricted media campaign in Regional Kendras of Patna, Gauhati and Shimla.

(III) Under Major Head “2202”-savings occurred under the following heads:-

(A) “Elementary Education- Other Expenditure”-

(a) “Grants to Voluntary Organisations engaged in the implementation of the Programme of Mahila Samakhya”- saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2975.00 lakhs) was due to release of less funds owing to non-convering of States of Bihar and Jharkhand under Mahila Samakhya as the programme in these states was still under District Primary Education Programme funding.

(b) “National Programme of Nutritional Support to Primary Education”- saving of Rs.8645.21 lakhs (against the sanctioned

में) खाद्यान्नों को लाने ले जाने के लिए ये सामग्री ढ़ोने वाले अभिकरणों से पर्याप्त संख्या में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा कम सम्मेलन/संगोष्ठियां आदि आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(क) ''निदेशन तथा प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - 327.85 लाख रु. की बचत (1323.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और विज्ञापन एवं प्रचार के अंतर्गत व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ख) ''स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान - प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता'' - 719.31 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान गैर -सरकारी संगठनों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2.(1) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (50185.38 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 200003.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''सर्व शिक्षा अभियान'' - 40928.78 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 40911.42 लाख रु. था।

(खा) ''कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय'' - 9256.60 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9256.10 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 443.38 लाख रु. का अधिक व्यय (19270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

provision of Rs.167500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of viable proposals from the lifting agencies for transportation of food grains and conducting of less conferences/seminars.

(B) "Adult Education"-

(a) "Direction and Administration - Directorate of Adult Education"- saving of Rs.327.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1323.00 lakhs) was due to to non-filling up of vacant posts and slow pace of expenditure under advertising and publicity.

(b) "Grants to Voluntary Organisations – Support to Non-Governmental Organisations in the field of Adult Education"- saving of Rs.719.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from Non-Government Organisations during the year.

2.(I) The above savings were partly (Rs.50185.38 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.200003.00 lakhs in December,2004 and March, 2005 under Major Head "2202"- "Elementary Education – Other Expenditrure"- under the following heads:-

(A) "Sarva Shiksha Abhiyan"-Rs.40928.78 lakhs. Actual excess, however, was Rs.40911.42 lakhs.

(B)) "Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya"- Rs.9256.60 lakhs. Actual excess, however, was Rs.9256.10 lakhs

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Elementary Education– Teachers Training- Strengthening of Teachers Training Institutions"- excess of Rs.443.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 19270.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for

स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim.